मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

### विधान सभा सचिवासय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. 6186-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनाक 18 मार्च, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

**डॉ. ए. के. पयासी**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

# मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१०

## मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, २०१०.

## विषय-सूची.

खण्ड :


१. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, अवधि और व्यावृत्ति.
२. परिभाषाएं.
३. आतंकवादी या उच्छेदक कार्यों, निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों और संगठित अपराधों के लिए दण्ड.
४. कतिपय अप्राधिकृत आयुधों, विस्फोटक पदार्थों आदि को कब्जे में रखने के लिए दण्ड.
५. उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य या उस व्यक्ति की ओर से जिसने कोई आतंकवादी कार्य किया है या उसमें संलग्न है, बे-हिसाब संपत्ति रखने के लिए दण्ड.
६. वर्धित शास्तियां.
७. जानकारी देने की बाध्यता.
८. विशेष न्यायालय.
९. विशेष न्यायालयों की अधिकारिता.
१०. अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालयों की शक्ति.
११. लोक अभियोजक.
१२. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां.
१३. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण की अग्रता.
१४. मामलों को नियमित न्यायालयों को अंतरित करने की शक्ति.
१५. अपील.
१६. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति.
१७. तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन का प्राधिकार.
१८. तार, संसूचना तथा इलैक्ट्रानिक संसूचना के प्रचालकों को निदेश जारी करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की शक्ति.
१९. प्राधिकार देने के आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए पुनर्विलोकन समिति का गठन.
२०. तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन और प्रकटन का प्रतिषिद्ध होना.
२१. साक्ष्य के विशेष नियम.
२२. पुलिस अधिकारियों के समक्ष की गई कतिपय संस्वीकृतियों का विचार में लिया जाना.
२३. साक्षियों का संरक्षण.
२४. संपत्ति का समपहरण तथा कुर्की.
२५. संहिता के कतिपय उपबंधों का उपान्तरित रूप में लागू होना.
२६. धारा ३ तथा ४ के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा.
२७. किसी अपराध का संज्ञान और उसके संबंध में अन्वेषण.
२८. गिरफ्तारी.
२९. अध्यारोही प्रभाव.
३०. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
३१. उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति.
३२. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.
३३. नियमों का विधान सभा के पटल पर रखा जाना.
३४. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

# मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१०

## मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, २०१०.

**आतंकवाद एवं संगठित अपराध के निवारण और नियंत्रण के लिए तथा उनसे प्रभावी रूप से निपटने के लिए और उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, अवधि और व्यावृत्ति.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रम अधिनियम, २०१० है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

(४) यह इसके प्रारंभ की तारीख से केवल तीन वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा किन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि यह अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी और कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा.

(५) उपधारा (४) के अधीन इस अधिनियम के समाप्ति के होते हुए भी—

(क) इस अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन पर या इस अधिनियम के अधीन की गई या भुगती गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि यह अधिनियम समाप्त नहीं किया गया था.

परिभाषाएं.

२. (१) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "दुष्प्रेरित करना" में इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(एक) ऐसे किसी व्यक्ति के साथ इस वास्तविक ज्ञान के साथ संपर्क या सहयोग करना या यह विश्वास रखते हुए कि ऐसा व्यक्ति उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी आतंकवादी कार्य या किसी विधिविरुद्ध संगम या किसी संगठित अपराध सिंडिकेट की सहायता में किसी भी रीति में लगा है; या

(दो) किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी आतंकवादी कार्य में संलग्न हो, किसी ऐसी जानकारी का हस्तांतरण या प्रकाशन जिससे किसी आतंकवादी कार्य या उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या किसी संगठित अपराध सिंडिकेट की सहायता संभाव्य हो, और किसी ऐसे व्यक्ति से जो किसी आतंकवादी कार्य

में संलग्न हो या उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट से अभिप्रेरित हो, किसी दस्तावेज या सामग्री के हस्तांतरण या प्रकाशन या वितरण में संलग्न हो;

(तीन) किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी आंतकवादी कार्य में संलग्न हो या उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट में संलग्न हो, कोई वित्तीय सहायता या अन्य कोई सहायता देना;

(ख) ''संहिता'' से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २);

(ग) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, धारा १६ के अधीन नियुक्त किया गया कोई सक्षम प्राधिकारी;

(घ) ''निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप'' से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कोई ऐसा क्रियाकलाप जिससे तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय कोई संज्ञेय अपराध गठित होता है जो,—

(एक) किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से या संयुक्त रूप से किया गया हो, जिसके बावत् दस वर्ष की पूर्ववर्ती कालावधि के भीतर किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई आरोप-पत्र फाइल किया गया है और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान ले लिया हो; या

(दो) उच्छेदक गतिविधियों में संलन किसी ''विधि विरुद्ध संगम'' के सदस्य के रूप में या ऐसे विधि विरुद्ध संगम की ओर से एकल रूप से या संयुक्त रूप से किया गया है, जो उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न है और जिसे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, १९६७ (१९६७ का सं. ३७) की धारा ३ के अधीन विधि विरुद्ध घोषित किया गया है;

(ङ) ''संगठित अपराध'' से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति द्वारा एकल रूप से या संयुक्त रूप से या तो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से और या तो विधिविरुद्ध संगम के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से, हिंसा या हिंसा की धमकी या भय या उत्पीड़न या अन्य विधिविरुद्ध साधनों द्वारा स्वयं या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, धनीय प्रलाभों या उपलभ्य आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिये किया गया कोई निरंतर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जिससे सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा मिलता हो;

(च) ''संगठित अपराध सिंडिकेट'' से अभिप्रेत है दो या अधिक व्यक्तियों का समूह, जो एकल रूप से या सामूहिक रूप से संगठित अपराध के क्रियाकलापों में लिप्त टोली (गैंग) के सिंडिकेट के रूप में कार्य कर रहा हो;

(छ) ''आतंकवाद से प्राप्त आगम'' से अभिप्रेत है सभी प्रकार की ऐसी संपत्तियां, जो किसी आतंकवादी कार्य को करने से व्युत्पन्न हुई हों या अभिप्राप्त की गई हों या किसी आतंकवादी कार्य से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हों और इसके अंतर्गत नकदी भी है, और इस बात को विचार में नहीं लाया जाएगा कि ऐसे आगम किस व्यक्ति के नाम में हैं या वे किसके कब्जे में पाए जाते हैं;

(ज) ''सम्पत्ति'' से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्णन की सम्पत्ति और आस्तियां, चाहे वे मूर्त या अमूर्त, जंगम या स्थावर, भौतिक या अभौतिक हों और ऐसी सम्पत्ति या आस्तियों के हक या उसमें किसी हित के साक्ष्य स्वरूप विलेख और लिखत और इसके अंतर्गत बैंक खाते भी हैं;

(झ) ''विशेष न्यायालय'' से अभिप्रेत है धारा ७ के अधीन गठित विशेष न्यायालय;

(ञ) ''उच्छेदक गतिविधि'' से अभिप्रेत है किसी धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने के आशय से कोई गतिविधि या ऐसी किसी गतिविधि की तैयारी, षडयंत्र या उसका दुष्प्रेरण, जो सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल हो और जो

समाज की एकता, सुरक्षा तथा शांति को किसी भी साधन से, चाहे जो कोई हो, संकट में डालता हो, जो ऐसी रीति में या तो एकल रूप से या सुंयक्त रूप से किया जाए, जिससे किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति या सम्पत्ति का विनाश या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान या पूजा स्थलों या ऐतिहासिक या पुरातात्विक संस्मारकों की हानि या नुकसान या उसका विनाश अथवा समुदाय के जीवन के लिए अत्यावश्यक किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या कारित होना सम्भाव्य है या जिससे किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति पहुंचाई जाए;

(ट) "आतंकवादी कार्य" से अभिप्रेत है, ऐसा क्रियाकलाप जो समाज की एकता, सुरक्षा और शांति को संकट में डालने या जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने के आशय से या बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थो का (चाहे वे जैव हों, या अन्यथा) या ऐसे किन्हीं अन्य साधनों का, जो कोई भी हों, ऐसी रीति से उपयोग करके, ऐसा कोई कार्य या बात या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से की जाए जिससे किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति या सम्पत्ति या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान या पूजा स्थलों या ऐतिहासिक या पुरातात्विक स्मारकों की हानि या नुकसान या उसका विनाश अथवा समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या कारित होना सम्भाव्य है या सरकार को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए विवश करने के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाए और ऐसे व्यक्ति को मारने या उसे क्षति पहुंचाने की धमकी दी जाए;

(ठ) "विधिविरुद्ध संगम" से अभिप्रेत है व्यष्टियों का कोई ऐसा संगम या निकाय, जो—

(एक) अपने उद्देश्यों के लिए कोई निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करता है या जो किसी निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है या उनकी सहायता करता है या जिसके सदस्य ऐसे क्रियाकलापों को करते हैं; या

(दो) जो अपने उद्देश्यों के लिए भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा १५३-क या धारा १५३-ख के अधीन दण्डनीय कोई क्रियाकलाप करता है या जो कोई ऐसा क्रियाकलाप करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है या उनकी सहायता करता है या जिसके सदस्य ऐसा कोई क्रियाकलाप करते हैं.

(२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और संहिता में परिभाषित हैं, क्रमश: वहीं अर्थ होंगे जो उनके लिए संहिता में दिए गए हैं.

आतंकवादी या उच्छेदक कार्यों, निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों और संगठित अपराधों के लिए दण्ड.

३. (१) जो कोई आतंकवादी या उच्छेदक कार्य या संगठित अपराध कारित करता है या निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलग्न रहता है, वह,—

(एक) यदि ऐसे कार्य या निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और कम से कम रुपए पांच लाख के जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

(दो) किसी अन्य दशा में कारावास से, जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा.

(२) जो कोई आतंकवादी या उच्छेदक गतिविधि या निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों या कोई संगठित अपराध या आतंकवादी कार्य या निरंतर विधिविरूद्ध क्रियाकलाप या किसी संगठित अपराध की तैयारी का कार्य करने का षडयंत्र करेगा या प्रयत्न करेगा या उसके किए जाने का पक्षपोषण करेगा, दुष्प्रेरण करेगा या उसका किया जाना जानबूझकर सुकर बनाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और कम से कम रुपए पांच लाख के जुर्माने से भी दंडनीय होगा.

(३) जो कोई किसी उच्छेदक गतिविधियों या संगठित अपराध सिंडिकेट में संलग्न किसी सदस्य या किसी व्यक्ति को जिसने आंतकवादी कार्य किया है जो आंतकवादी कार्य में किसी भी रीति में सहायता करने में संलग्न है, जानबूझकर या स्वेच्छापूर्वक संश्रय देगा या छिपाएगा या संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और कम से कम रुपए पांच लाख के जुर्माने से भी दंडनीय होगा.

(४) कोई व्यक्ति, जो उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य हो, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और कम से कम रुपए पांच लाख के जुर्माने से भी दंडनीय होगा.

(५) जो कोई आतंकवाद से प्राप्त आगम या ऐसी किसी सम्पत्ति को धारण करता है, जो निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप या किसी संगठित अपराध के कारित होने से व्युत्पन्न हुई है या प्राप्त की गई है, या जिसे उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट या आतंकवादी कृत्य से अर्जित किया गया है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और कम से कम रुपए दो लाख के जुर्माने से भी दंडनीय होगा.

**कतिपय अप्राधिकृत आयुधों, विस्फोटक पदार्थों आदि को कब्जे में रखने के लिए दण्ड.**

४. जहां किसी व्यक्ति ने या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या अन्यथा आतंकवादी कार्य कारित किया है या जो आतंकवादी या उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न रहता है, कोई बम, डायनामइट या परिसंकटमय विस्फोटक पदार्थ या व्यापक विध्वंस करने में सक्षम अन्य प्राणहर शस्त्र या युद्ध के जैविक या रासायनिक पदार्थ को अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखेगा, वहां वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आतंकवादी कार्य का दोषी होगा और कारावास से जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो रुपए दस लाख तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.

**उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य या उस व्यक्ति की ओर से जिसने कोई आतंकवादी कार्य किया है या उसमें संलग्न है, वे-हिसाब सम्पत्ति रखने के लिए दण्ड.**

५. यदि कोई व्यक्ति उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसने किसी भी समय आतंकवादी कार्य किया है या जो किसी आतंकवादी कार्य में संलग्न है जंगम या स्थावर सम्पत्ति का आधिपत्य रखता है और जिसका वह समाधानप्रद हिसाब न दे सकता हो, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और कम से कम रुपए एक लाख के जुर्माने के लिये भी दण्डनीय होगा और ऐसी सम्पत्ति धारा २४ में यथा उपबंधित कुर्की और समपहरण के दायित्वाधीन होगी.

**वर्धित शास्तियां.**

६. यदि कोई व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करने के आशय से जिसने आतंकवादी कार्य किया है या जो आतंकवादी कार्य या उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न है, विस्फोटक अधिनियम, १८८४ (१८८४ का सं. ४) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, १९०८ (१९०८ का सं. ६), ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, १९५२ (१९५२ का सं. २०) या आयुध अधिनियम, १९५९ (१९५९ का सं. ५४) के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह पूर्वोक्त अधिनियमों में से किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा.

**जानकारी देने की बाध्यता.**

७. (१) किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने वाला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक की पदश्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी के लिखित में पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी बैंक या किसी कंपनी, या किसी फर्म या किसी अन्य संस्था, स्थापना, संगठन या किसी वैयष्टिक से किन्हीं ऐसे बिंदुओं या विषयों पर ऐसे अपराध के संबंध में उनके कब्जे में की जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जहां कि अन्वेषक अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी जानकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत है.

(२) उपधारा (१) के अधीन मांगी गई जानकारी देने में असफल रहना या जानबूझ कर मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करना, ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा.

(३) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) के अधीन के अपराधों का विचारण संक्षिप्त मामले के रूप में किया जाएगा और उक्त संहिता के अध्याय-२१ (धारा २६२ की उपधारा (२) को छोड़कर) में विहित की गई प्रक्रिया उसके लिए लागू होगी.

विशेष न्यायालय.

**८. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक या अधिक विशेष न्यायालय गठित कर सकेगी.**

**(२) जहां किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, वहां उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा.**

**(३) विशेष न्यायालय की अध्यक्षता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले किसी न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से विशेष न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर सकेगी.**

**(४) कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति के अव्यवहित पूर्व सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश न हो.**

**(५) जहां किसी विशेष न्यायालय में कोई अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाती हैं, वहां विशेष न्यायालय का न्यायाधीश समय-समय पर, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विशेष न्यायालय के कामकाज का वितरण स्वयं में और अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों में और उसकी अनुपस्थिति या किसी अपर न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में आवश्यक कामकाज के निपटारे के लिए भी उपबंध कर सकेगा.**

विशेष न्यायालयों की अधिकारिता.

९. संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह किया गया था, या यथास्थिति धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन ऐसे अपराध का विचारण करने के लिये गठित विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा.

अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालयों की शक्ति.

१०. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, कोई विशेष न्यायालय, किसी दूसरे अपराध का, जिसके अभियुक्त को उसी विचारण में संहिता के अधीन आरोपित किया जाए, विचारण कर सकेगा, यदि वह अपराध ऐसे अन्य अपराध से संबंधित हो.

(२) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किसी विचारण के अनुक्रम में, यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो विशेष न्यायालय ऐसे अन्य अपराध के ऐसे व्यक्ति का विचारण कर सकेगा और सिद्धदोष ठहरा सकेगा तथा यथास्थिति इस अधिनियम द्वारा या उसके लिए दण्ड के लिए ऐसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश पारित कर सकेगा.

लोक अभियोजक.

११. (१) राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार किसी मामले या किन्हीं मामलों के समूह के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी.

(२) कोई व्यक्ति, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि उसने कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय नहीं कर लिया हो.

(३) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति संहिता की धारा २ के खण्ड (प) के अर्थ के अन्तर्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा और संहिता के उपबंध तद्नुसार प्रभावी होंगे.

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां.

१२. (१) विशेष न्यायालय, अपने समक्ष विचारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी के बिना ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा.

(२) जहां किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है, वहां विशेष न्यायालय, संहिता की धारा २६० की उपधारा (१) या धारा २६२ में किसी बात के होते हुए भी संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार उस अपराध का विचारण संक्षिप्त रूप से कर सकेगा और संहिता की धारा २६३ से धारा २६५ तक के उपबंध जहां तक हो सके, ऐसे विचारण को लागू होंगे:

परन्तु जब, इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में, किसी विशेष न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि उसका संक्षिप्त रूप में विचारण करना अवांछनीय है, तो विशेष न्यायालय किन्हीं ऐसे साक्षियों को, जिनकी परीक्षा की जा चुकी है, पुन: बुलाएगा और संहिता के उपबंधों द्वारा ऐसे अपराध के विचारण के लिए उपबंधित रीति से मामले की पुन: सुनवाई करने के लिए अग्रसर होगा और उक्त उपबंध विशेष न्यायालय को और उसके संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी मजिस्ट्रेट को और उसके संबंध में लागू होते हैं:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में, विशेष न्यायालय के लिए दो वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा.

(३) विशेष न्यायालय, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा दान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का, जिनकी उसे जानकारी हो, पूर्ण और सत्य का प्रकटन कर दे तथा इस प्रकार किया गया क्षमादान संहिता की धारा ३०८ के प्रयोजनों के लिए उसकी धारा ३०७ के अधीन किया गया क्षमादान समझा जाएगा.

(४) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी विशेष न्यायालय, के पास किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन हेतु सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसे अपराध का विचारण जहां तक हो सके, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार करेगा मानो कि वह सेशन न्यायालय है.

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण की अग्रता.

१३. किसी विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण को किसी अन्य न्यायालय में (जो विशेष न्यायालय नहीं है) अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर अग्रता प्राप्त होगी और उसका ऐसे अन्य मामले के विचारण पर अधिमान देते हुए निर्णय किया जाएगा तथा तद्नुसार ऐसे अन्य मामले का विचारण प्रास्थगित रहेगा.

मामलों को नियमित न्यायालयों को अंतरित करने की शक्ति.

१४. जहां किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् विशेष न्यायालय की यह राय है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, वहां वह अपराध का संज्ञान करने की अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत करने के लिए उस मामले को अभियोजन अभिकरण को लौटा देगा.

अपील.

१५. (१) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जो अंतवर्ती आदेश नहीं है, अपील उच्च न्यायालय में होगी.

(२) परिसीमा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ३६) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील ऐसे निर्णय, दण्डादेश या आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर की जाएगी.

सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति.

१६. राज्य सरकार, गृह विभाग के किसी ऐसे अधिकारी को जो शासन के सचिव की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो, धारा १७ के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी.

तार इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन का प्राधिकार.

१७. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी आतंकवादी कार्य, निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप या किसी संगठित अपराध के अन्वेषण का पर्यवेक्षण करने वाले पुलिस अधीक्षक की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी द्वारा तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन के प्राधिकार या अनुमोदन के आदेश के लिए जहां ऐसे अन्तरावरोधन से किसी आतंकवादी कार्य, निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप या किसी संगठित अपराध की साक्ष्य उपलब्ध हो सकती हो या उपलब्ध कराई गई है, सक्षम प्राधिकारी को लिखित में एक आवेदन कर सकेगा.

(२) प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी, अर्थात् :—

(क) आवेदन करने वाले अन्वेषण या विधि प्रवर्तन अधिकारी की पहचान और आवेदन को प्राधिकृत करने वाला विभाग प्रमुख.

(ख) उन तथ्यों और परिस्थितियों का विवरण जिनका आवेदक द्वारा अपने इस विश्वास को न्यायायोजित ठहराने के लिये अवलम्ब लिया गया है कि आदेश जारी किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(एक) उस आतंकवादी कार्य, निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप या संगठित अपराध के ब्यौरे, जो किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है;

(दो) उन सुविधाओं की प्रकृति और अवस्थिति का विशिष्ट वर्णन जिनसे और वह स्थान जहां संसूचना को अन्तर्रूद्ध किया जाना है.

(तीन) उस संसूचना के प्रकार का विशिष्ट वर्णन जिसे अन्तर्रूद्ध करने का वांछा की गई; और

(चार) उस व्यक्ति की पहचान, यदि वह ज्ञात है, जो आंतकवादी कार्य, निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप और संगठित अपराध कर रहा है और जिसकी संसूचना अन्तर्रूद्ध की जानी है.

(ग) एक ऐसे विवरण की जांच या गुप्त सूचना एकत्रित करने की अन्य रीति को आजमाया गया है या नहीं और क्या वह असफल हो गई है या नहीं और यदि विचारण किया गया तो सफल होना, सम्भाव्य होना क्यों प्रतीत नहीं होता है या अत्यधिक खतरनाक है या अन्तरावरोधन के कार्य में संलग्न उन व्यक्तियों की पहचान होना सम्भाव्य है;

(घ) यदि जांच की प्रकृति ऐसी है कि अन्तरावरोधन का प्राधिकार वर्णित प्रकार की संसूचना प्रथम अभिप्राप्त करने के पश्चात् स्वत: समाप्त नहीं होना चाहिए तो उस समयावधि का विवरण जिसके लिए अंतरावरोधन बनाए रखना अपेक्षित है और यह विश्वास करने का कि इसी प्रकार की अतिरिक्त संसूचनाएं उसके पश्चात् होंगी, अधिसंभाव्य हेतुक स्थापित करने वाले तथ्यों का विशिष्ट वर्णन;

(ङ) उन तथ्यों का विवरण, जो अन्तरावरोधन के प्राधिकार के लिए या तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन के अनुमोदन के लिए है जिसमें उन्हीं व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अंतर्ग्रस्त है, आवेदन-पत्र में विनिर्दिष्ट सुविधा या स्थान अंतर्विष्ट है, के लिए सक्षम प्राधिकारी को किए गए समस्त पूर्व आवेदन पत्रों से संबधित, आवेदन करने और अधिकारी को प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का कथन और प्रत्येक ऐसे आवेदन पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही; और

(च) जहां आवेदन किसी आदेश के विस्तार के लिए है, वहां अन्तरावरोधन से अभिप्राप्त अब तक के परिणाम या ऐसे परिणाम अभिप्राप्त करने में असफलता का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण उपवर्णित करते हुए एक विवरण.

(३) सक्षम प्राधिकारी आवेदक से आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा.

(४) ऐसे आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी, कारणों को लेखबद्ध करते हुए आवेदन को नामंजूर कर सकेगा या अनुरोध किए गए अनुसार या उपांतरित रूप में, तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन को प्राधिकृत या अनुमोदित

करने वाला कोई आदेश जारी कर सकेगा, यदि सक्षम प्राधिकारी का आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि—

(क) विश्वास करने के लिए अधिसम्भाव्य हेतुक है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा ३ और ४ के अधीन वर्णित और दण्डनीय बनाया गया कोई विशिष्ट अपराध कर रहा है, उसने किया है या करने वाला है;

(ख) यह विश्वास करने का अधिसम्भाव्य हेतुक है कि इस अपराध से संबंधित विशिष्ट संसूचना ऐसे अंतरावरोधन के माध्यम से अभिप्राप्त की जा सकती है;

(ग) जांच और सूचना प्राप्त करने की समान्य रीति को आजमाया जा चुका है और वह असफल रही है या आजमाया गया तो सफल होने की संभावना युक्तियुक्त रूप से प्रतीत नहीं होती या बहुत खतरनाक हो सकती है या अंतरावरोधन के कार्यकरण के साथ जो संबद्ध है, उनकी पहचान प्रकट होना संभाव्य है;

(घ) यह विश्वास करने के लिए अधिसम्भाव्य हेतुक है कि उन सुविधाओं का, जिनसे या वह स्थान, जहां पर तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचनाओं का अंतरावरोधन किया जाना है, ऐसे अपराध को कारित करने के संबंध में उपयोग किया जा रहा है या किया जाना है, ऐसे व्यक्ति को पट्टे पर दिया गया है या ऐसे व्यक्ति के नाम पर सूचीबद्ध है या उसके द्वारा सामान्यत: प्रयोग किया जाता है.

(५) इस धारा के अधीन किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन को प्राधिकृत या अनुमोदित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा,—

(क) ऐसे व्यक्ति की पहचान, यदि वह ज्ञात है, जिसकी संसूचनाओं को अन्तर्रूद्ध किया जाना है;

(ख ) ऐसी संसूचना, सुविधाओं की प्रकृति और अवस्थिति जिनके बारे में या वह स्थान जहां अन्तर्रूद्ध करने का प्राधिकार अनुदत्त किया जाता है;

(ग) अन्तर्रूद्ध किए जाने के लिये लिखित संसूचना की किस्म का विशिष्ट वर्णन और उस विशिष्ट अपराध का, जिससे वह संबंधित है, विवरण;

(घ) संसूचनाओं को अन्तर्रूद्ध करने के लिए प्राधिकृत अभिकरण की और आवेदन प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति की पहचान; और

(ङ) वह समयावधि जिसके दौरान ऐसा अंतरावरोधन प्राधिकृत किया जाता है, जिसके अन्तर्गत इस बारे में विवरण भी है कि वर्णित संसूचना पहली बार अभिप्राप्त करने के पश्चात्, ऐसा अंतरावरोधन स्वत: समाप्त हो जाएगा या नहीं.

(६) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (४) के अधीन आदेश पारित करने के तुरन्त पश्चात्, किन्तु किसी भी दशा में आदेश पारित किए जाने के सात दिन के अपश्चात्, उसकी एक प्रति के साथ धारा १९ के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति को उक्त आदेश की यावत् सभी सुसंगत कागजपत्र, अभिलेख और उसके अपने निष्कर्ष, पुनर्विलोकन समिति के विचारार्थ और उसके द्वारा किए जाने वाले आदेश के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा.

(७) इस धारा के अधीन, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन को प्राधिकृत करने वाले किसी आदेश में, आवेदक के अनुरोध पर यह निदेश दिया जाएगा कि तार या इलैक्ट्रानिक संसूचना सेवा का कोई प्रदाता, भूमिस्वामी, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति आवेदक को वे सभी जानकारियां, सुविधाएं और तकनीकी सहायता जो अंतरावरोधन का निर्विघ्न रूप से निष्पादित करने के लिये आवश्यक हैं और ऐसी सेवाओं में कम से कम हस्तक्षेप करते हुए, देगा जो ऐसा सेवा प्रदाता, भूस्वामी, अभिरक्षक या व्यक्ति, उस व्यक्ति को प्रदान कर रहा है जिसकी संसूचना का अंतरावरोधन किया जाता है.

(८) इस धारा के अधीन जारी किया गया कोई आदेश, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन को, उसके प्राधिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक अवधि से अधिक कालावधि के लिए प्राधिकृत या अनुमोदित नहीं कर सकेगा और किसी भी दशा में या साठ दिन से अधिक नहीं होगी और वह साठ दिन की अवधि उस दिन से ठीक पूर्व के दिन से, जिसको अन्वेषण अधिकारी अथवा विधि प्रवर्तन अधिकारी आदेश के अधीन किसी अन्तरावरोधन को सर्वप्रथम आरंभ करता है या आदेश जारी करने के दस दिन पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगी और किसी आदेश का विस्तारण उपधारा (१) के अनुसार किए गए किसी विस्तार के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत करने पर ही, मंजूर किया जा सकेगा और ऐसे विस्तार की अवधि उससे अधिक नहीं होगी जो सक्षम प्राधिकारी उन प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जिनके लिए वह उसे दिया गया था और वह अवधि किसी भी दशा में एक बार में साठ दिन से अधिक नहीं होगी और प्रत्येक आदेश और उसके विस्तार में यह उपबंध होगा कि अन्तर्रूद्ध करने का प्राधिकार यथासाध्य शीघ्रता से निष्पादित किया जाएगा और ऐसी भांति या रीति से किया जाएगा जिससे कि उन संसूचनाओं का कम से कम अन्तरावरोधन हो जो इस धारा के अधीन अन्यथा अन्तरावरोधन के अधीन न हो और वह प्राधिकृत लक्ष्य की प्राप्ति पर या किसी भी दशा में आदेश की कालावधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा और अन्तर्रूद्ध संसूचना के किसी विदेशी भाषा के कोड में होने की दशा में अन्तरावरोधन की कालावधि के दौरान उस विदेशी भाषा का विशेषज्ञ या वह कोड युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध न हों तो उस कम से कम अन्तरावरोधन को ऐसे अन्तरावरोधन के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से सिद्ध किया जा सकेगा.

(९) जब कभी अन्तरावरोधन प्राधिकृत करने वाला कोई आदेश इस धारा के अनुसरण में जारी किया जाता है तब उसमें उस सक्षम प्राधिकारी से, जिसने आदेश जारी किया है, ऐसी रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जा सकेगी जिसमें यह दर्शित हो कि प्राधिकृत लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रगति हुई है और अनवरत अन्तरावरोधन की आवश्यकता है और ऐसी रिपोर्ट ऐसे अंतरालों पर दी जाएगी जो सक्षम प्राधिकारी अपेक्षा करे.

(१०) इस धारा के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी पुलिस महानिदेशक, आपराधिक अन्वेषण विभाग या आसूचना की पदश्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी जो युक्तियुक्त रूप से यह अवधारण करता है कि—

(क) ऐसी आपातस्थिति विद्यमान है जिसमें—

(एक) किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति का आसन्न खतरा अंतर्वलित है;

(दो) राज्य की सुरक्षा या हित को संकट में डालने वाले षडयंत्रकारी कार्यकलाप अंतर्वलित हैं; या

(तीन) संगठित अपराध के लक्षण वाले ऐसे षडयंत्रकारी कार्यकलाप अंतर्वलित हैं जिनमें सक्षम प्राधिकारी से, सम्यक् तत्परता से, ऐसे अन्तरावरोधन को प्राधिकृत करने वाला कोई आदेश प्राप्त किए जा सकने के पूर्व, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना का अन्तरावरोधन किया जाना आवश्यक है; और

(ख) ऐसे आधार हैं जिन पर ऐसे अन्तरावरोधन को प्राधिकृत करने के लिए इस धारा के अधीन कोई आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए,

तो वह ऐसे तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना को अन्तर्रूद्ध करने के लिए अन्वेषण पुलिस अधिकारी को लिखित रूप से प्राधिकृत कर सकेगा, यदि अन्तरावरोधन का अनुमोदन करने के किसी आदेश के लिए कोई आवेदन ऐसे अन्तर्रूद्ध होने के या होना आरंभ होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपधारा (१) और उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार किया जाता है.

(११) उपधारा (१०) के अधीन किए गए अन्तरावरोधन के अनुमोदन के लिए किसी आदेश के न होने पर, ऐसा अन्तरावरोधन उस दशा में तुरंत समाप्त हो जाएगा जब ईप्सित संसूचना अभिप्राप्त हो जाती है या जब आदेश के लिए आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, जो ऐसे अन्तर्रूद्ध होने के या होना आरंभ होने के पश्चात्, ७ दिन पूर्ण होने पर जो भी पूर्वतर हो, और अन्तरावरोधन अनुज्ञात करने वाले किसी आवेदन के उपधारा (४) के अधीन, नामंजूर कर दिए जाने की दशा में या उपधारा (१०) के अधीन अनुमोदन के लिये किसी आवेदन के नामंजूर कर दिए जाने की दशा में, या किसी अन्य दशा में जहां अन्तरावरोधन कोई आदेश जारी किए बिना समाप्त हो जाता है, अन्तर्रूद्ध किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तु को इस धारा के अतिक्रमण में अभिप्राप्त किया गया समझा जाएगा.

(१२)(क) इस धारा द्वारा प्राधिकृत किन्हीं साधनों द्वारा अंतरूद्ध किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु यावत्साध्य, टेप या तार या अन्य वैसी ही युक्ति पर ध्वन्यंकित की जाएगी और इस धारा के अधीन तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तु का ध्वन्यंकन इस तरह किया जाएगा जिससे कि ध्वन्यंकन को संपादन या अन्य परिवर्तनों से संरक्षित रखा जा सके और आदेश की अवधि या उसके विस्तार की समाप्ति पर ऐसा ध्वन्यंकन, ऐसा आदेश जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाएगा और उसके निदेशाधीन मुरहबंद कर दिया जाएगा तथा और ध्वन्यंकन की अभिरक्षा सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन रखी जाएगी, और ऐसा ध्वन्यंकन सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना नष्ट नहीं किया जाएगा और किसी भी दिशा में दस वर्ष तक रखा जाएगा.

(ख) इस धारा के अधीन किए गए आवेदन और जारी किए गए आदेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुहरबंद किए जाएंगे और आवेदनों तथा आदेशों की अभिरक्षा ऐसी रीति में की जाएगी, जैसा सक्षम प्राधिकारी निदेश दे और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना नष्ट नहीं किए जाएंगे और किसी भी दशा में दस वर्ष तक रखे जाएंगे.

(१३) संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन के द्वारा एकत्र किया गया साक्ष्य किसी मामले के विचारण के दौरान न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा :

परन्तु इस धारा के अनुसरण में अन्तर्रूद्ध तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु या उससे व्युत्पन्न साक्ष्य, किसी न्यायालय में तब तक साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा या किसी विचारण, सुनवाई या अन्य कार्यवाही में प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रत्येक अभियुक्त को, सक्षम प्राधिकारी के आदेश और उसके साथ संलग्न आवेदन जिसके अधीन अन्तरावरोधन प्राधिकृत या अनुमोदित किया गया था, की प्रति विचारण, सुनवाई या कार्यवाही के कम से कम दस दिन पूर्व न दे दी गई हो:

परन्तु यह और कि उक्त दस दिन की कालावधि मामले का विचारण कर रहे न्यायाधीश द्वारा अधित्यजित की जा सकेगी यदि वह पाता है कि विचारण, सुनवाई या कार्यवाही के दस दिन पूर्व उपरोक्त जानकारी अभियुक्त को देना संभव नहीं था और यह कि अभियुक्त पर ऐसी जानकारी प्राप्त करने में विलंब से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) ''अन्तरावरोधन'' से अभिप्रेत है, तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु का किसी इलैक्ट्रानिक, यांत्रिक या अन्य युक्ति के उपयोग के माध्यम से कर्णगत् या अन्य अर्जन;

(ख) ''तार संसूचना'' से अभिप्रेत है प्रारंभ स्थल और श्रवण स्थल के बीच (इसमें स्विचन केन्द्र में ऐसे संयोजन का उपयोग सम्मिलित है) तार, केबल या अन्य वैसे ही संयोजन की सहायता से संसूचना के पारेषण के लिये सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से पूर्णत: या भागत: किया गया कर्णगत् पारेषण और इस पद में ऐसी संसूचना का कोई इलैक्ट्रानिक भण्डारण सम्मिलित है;

(ग) ''मौखिक संसूचना'' से अभिप्रेत है कोई ऐसी मौखिक संसूचना जो किसी व्यक्ति द्वारा यह प्रत्याशा प्रदर्शित करते हुए उच्चारित की गई है कि ऐसी संसूचना, ऐसी प्रत्याशा को न्यायोचित ठहराने वाली परिस्थितियों के अधीन अन्तर्रूद्ध किए जाने के अधीन नहीं है, किन्तु इस पद में कोई इलैक्ट्रानिक संसूचना सम्मिलित नहीं है;

(घ) ''इलैक्ट्रानिक संसूचना'' से किसी तार, रेडियो, विद्युत् चुंबकीय फोटो इलैक्ट्रानिक या फोटो प्रकाशीय प्रणाली द्वारा संपूर्णत: या भागत: पारेषित किसी प्रकार के चिन्हों, संकेतों, रेखनों, प्रतिबिम्बों, ध्वनियों आंकड़ों या आसूचना का ऐसा अन्तरण अभिप्रेत है, जो अन्तर्देशीय या विदेशी वाणिज्य को प्रभावित करता है किन्तु उसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है,—

(एक ) डोरीरहित टेलीफोन के रेडियो भाग से वह सूचना, जो बेतार टेलीफोन हैंडसेट और आधारित एकक के बीच पारेषित की गई है; या

(दो) किसी तार से या कोई मौखिक संसूचना; या

(तीन) केबल टोन पेंजिगयुक्ति के माध्यम से दी गई कोई संसूचना; या

(चार) किसी खोजी युक्ति से कोई संसूचना.

तार संसूचना तथा इलैक्ट्रानिक संसूचना के प्रचालकों को निदेश जारी करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की शक्ति.

१८. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अन्वेषण का पर्यवेक्षण करने वाले पुलिस अधीक्षक की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी तार संसूचना या इलैक्ट्रानिक संसूचना के किसी प्रचालक को, युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद किसी आपराधिक कृत्य या षडयंत्र के लिये उपयोग में लाये जा रहे तार संसूचना या इलैक्ट्रानिक संसूचना के किसी यंत्र को निष्क्रिय करने और ऐसे किसी यंत्र से या यंत्र को काल्स या सूचना का सम्पर्क विच्छेद करने के निदेश देने का आदेश जारी करने के लिये लिखत में सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और सक्षम प्राधिकारी उसकी अधिकारिता में प्रचालित तार संसूचना या इलैक्ट्रानिक संसूचना के प्रचालकों को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तार संसूचना या इलैक्ट्रानिक संसूचना यंत्र का विवरण जिसमें किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान किसी विशिष्ट व्यक्ति को उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया सिमकार्ड सम्मिलित है, उपलब्ध कराने का निदेश भी दे सकेगा और तार संसूचना या इलैक्ट्रानिक संसूचना के ऐसे प्रचालक के लिये उपरोक्त उल्लिखित प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध कराना आवश्यक होगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन दिए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी जो रुपए दो लाख तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

प्राधिकार देने के आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए पुनर्विलोकन समिति का गठन.

१९. (१) धारा १७ की तथा धारा १८ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिये एक पुनर्विलोकन समिति होगी.

(२) पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् :—

| | | |
|---|---|---|
| (एक) | शासन का मुख्य सचिव | अध्यक्ष; |
| (दो) | प्रमुख सचिव, गृह विभाग | सदस्य; |
| (तीन) | प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग | सदस्य. |

(३) धारा १७ या धारा १८ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का, उसकी प्राप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर पुनर्विलोकन समिति द्वारा, विचार किया जाएगा. धारा १७ की उपधारा (४) या धारा १८ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेलुलर फोन के अन्तरावरोधन निष्क्रियकरण श्रंखला विच्छेदन के संबंध में आवेदन करने, प्राधिकृत करने या अनुमोदित करने का आदेश आवश्यक, युक्तियुक्त और न्यायोचित है.

(४) पुनर्विलोकन समिति, संपूर्ण अभिलेख की परीक्षा करने और ऐसी जांच, यदि आवश्यक समझी जाए, के करने के पश्चात् लिखित रूप में आदेश द्वारा या तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनुमोदित करने या उसका अनुमोदन नहीं करने का विनिश्चय कर सकेगी तथा पुनर्विलोकन समिति द्वारा यह विनिश्चय करने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन नहीं करने के आदेश जारी किए जाने पर, पहले से प्रारंभ हुआ अन्तरावरोधन, यदि कोई हो, तुरंत बंद कर दिया जाएगा और टेप, तार या अन्य युक्ति के रूप में अन्तर्रूद्ध कोई संसूचना, यदि कोई हो, तत्पश्चात् किसी मामले में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगी और उसे नष्ट किए जाने का निदेश दिया जाएगा.

तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन और प्रकटन का प्रतिषिद्ध होना.

२०. धारा १७ में जैसा अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, कोई पुलिस अधिकारी जो—

(क) किसी तार, इलैक्ट्रानिक्स या मौखिक संसूचना को साशय अन्तर्रूद्ध करेगा, अन्तर्रूद्ध करने का प्रयास करेगा, या अन्तर्रूद्ध करने या अन्तर्रूद्ध करने का प्रयास करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उपाप्त करेगा;

(ख) किसी मौखिक संसूचना को अन्तर्रूद्ध करने के लिए किसी इलैक्ट्रानिक, यांत्रिक या अन्य युक्ति का साशय उपयोग करेगा, उपयोग करने का प्रयास करेगा या उपयोग करने या उपयोग करने का प्रयास

करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को उपाप्त करेगा, जब—

(एक) ऐसी युक्ति किसी तार, केबल या तार संसूचना में प्रयुक्त अन्य तत्समान संयोजन के साथ लगाई जाती है या उनके माध्यम से कोई संकेत पारेषित किया जाता है; या

(दो) ऐसी युक्ति रेडियो द्वारा संसूचनाएं पारेषित करती हैं या ऐसी संसूचना के पारेषण में हस्तक्षेप करती हैं;

(ग) यह जानते हुए या यह जानने का विश्वास रखते हुए कि जानकारी धारा १९ की उपधारा (४) के सात पठित धारा १७ के अतिक्रमण में किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन द्वारा प्राप्त की गई थी, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तु किसी अन्य व्यक्ति को साशय प्रकट करेगा या प्रकट करने का प्रयास करेगा;

(घ) यह जानते हुए या जानने का आशय रखते हुए कि जानकारी होते हुए धारा १९ की उपधारा (४) के सात पठित धारा १७ के अतिक्रमण में किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन द्वारा प्राप्त की गई थी, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तु का साशय उपयोग करेगा या उपयोग करने का प्रयास करेगा; या

(ङ) धारा १७ के अधीन किये गये किसी आदेश द्वारा प्राधिकृत साधनों से अन्तरावरोधन किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तु निम्नलिखित के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को—

(एक) यह जानते हुए या यह जानने का कारण होते हुए कि जानकारी इस अधिनियम के अधीन किसी आपराधिक अन्वेषण के संबंध में ऐसी संसूचना के अन्तरावरोधन द्वारा अभिप्राप्त की गई थी; या

(दो) किसी आपराधिक अन्वेषण के संबंध में जानकारी अभिप्राप्त की जा रही है या प्राप्त की गई थी; और

(तीन) सम्यक्रूपेण प्राधिकृत किये गये आपराधिक अन्वेषण को अनुचित रूप से बाधा डालने, अड़चन पैदा करने या हस्तक्षेप करने के आशय से, साशय प्रकट करेगा या प्रकट करने का प्रयास करेगा;

(च) धारा १९ की उपधारा (४) के अधीन पुनर्विलोकन समिति द्वारा सक्षम प्राधकारी के आदेश का अनुमोदन नहीं करने के विनिश्चय के पश्चात् तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन को साशय जारी रखेगा;

तो ऐसे अतिक्रमण के लिये कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और पचास हजार रुपये तक के जुर्माने से, दण्डनीय होगा.

साक्ष्य के विशेष नियम.

२१. (१) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का १) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन के अपराधों या संबंधित अपराधों के लिये विचारण तथा दण्ड के प्रयोजन के लिये न्यायालय इस तथ्य के मूल्य को विचार में लेगा कि अभियुक्त को—

(क) किसी पूर्व अवसर पर संहिता की धारा १०७, १०८ या ११० के अधीन आबद्ध किया गया था;

(ख) निवारक निरोध से संबंधित किसी विधि के अधीन निरूद्ध किया गया था; या

(ग) किसी पूर्व अवसर पर इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजित किया गया था.

(२) जहां यह साबित किया जाता है कि कोई व्यक्ति संगठित अपराध या आतंकवादी कार्य में लिप्त था उसकी ओर से किसी व्यक्ति ने किसी भी समय ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति अपने कब्जे में रखी है, संतोषप्रद लेखा उसके पास नहीं है तो विशेष न्यायालय, जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा करेगा कि ऐसी संपत्ति या धनसंबंधी संसाधनों को उसने अवैध क्रियाकलापों द्वारा अर्जित या प्राप्त किया था.

(३) जहां यह साबित किया जाता है कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण किया है तो विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने ये फिरौती के लिये किया था.

पुलिस अधिकारियों के समक्ष की गई कतिपय संस्वीकृतियों को विचार में लिया जाना.

२२. (१) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का सं. १) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई संस्वीकृति और जो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में या किसी युक्ति से, जैसे—कैसेट, टेप, साउण्ड ट्रैक, या वीडियो जिससे ध्वनियां या आकृतियां पुनः प्रस्तुत की जा सकती हैं, अभिलिखित की गई हैं, ऐसे व्यक्ति या सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षडयंत्रकारी के विचारण में ग्राह्य होंगी :

परन्तु सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षडयंत्रकारी को अभियुक्त के साथ ही उस मामले में आरोपित या विचारित किया जाएगा.

(२) संस्वीकृति उसी भाषा में मुक्त वातावरण में अभिलिखित की जाएगी जिसमें व्यक्ति का परीक्षण तथा उसके द्वारा यथा वाचन किया गया है.

(३) पुलिस अधिकारी, उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा की गई कोई संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व करने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में यह स्पष्ट करेगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिये बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो उसका उपयोग उसके विरूद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकेगा, और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी कोई संस्वीकृति तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसे यह विश्वास नहीं हो जाता है कि वह स्वेच्छा से की जा रही है और संबंधित पुलिस अधिकारी, ऐसी स्वैच्छिक संस्वीकृति अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसी संस्वीकृति के स्वेच्छा चरित्र के उसके वैयक्तिक संतुष्टि के बारे में संस्वीकृति के नीचे लिखित में अभिप्रमाणित करते हुए उसकी तारीख तथा समय डालेगा.

(४) उपधारा (१) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक संस्वीकृति, उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसमें ऐसी संस्वीकृति अभिलिखित की गई है को तत्काल भेजी जाएगी तथा ऐसा मजिस्ट्रेट इस प्रकार प्राप्त की गई अभिलिखित संस्वीकृति को विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा जो अपराध का संज्ञान ले सकेगा.

(५) ऐसे व्यक्ति को, जिसकी संस्वीकृति उपधारा (१) के अधीन अभिलिखित की गई है, अयुक्तियुक्त विलंब के बिना इलैक्ट्रानिक युक्ति पर लिखित या अभिलिखित संस्वीकृति के मूल कथन सहित उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी पेश किया जाएगा, जिसको कि संस्वीकृति का भेजा जाना उपधारा (४) के अधीन अपेक्षित है.

(६) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस प्रकार पेश किये गये अभियुक्त द्वारा किये गए कथन को, यदि कोई हो, अन्तःक्षेत्र के रूप में अभिलिखित करेगा तथा उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा तथा यातना की किसी शिकायत की दशा में ऐसे व्यक्ति को सहायक सिविल सर्जन से अनिम्न पंक्ति के चिकित्सा अधिकारी के समक्ष चिकित्सीय परीक्षण के लिये प्रस्तुत करने के लिये निदेश देगा.

साक्षियों का संरक्षण.

२३. (१) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि विशेष न्यायालय ऐसी वांछा करता है तो इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, बंद कमरे में की जा सकेंगी.

(२) विशेष न्यायालय का, उसके समक्ष भी किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा किये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से ऐसे साक्षी की पहचान और पता गुप्त रखने के लिये ऐसे उपाय कर सकेगा, जो वह ठीक समझे.

(३) विशिष्टतया और उपधारा (२) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन उपायों में, जिन्हें न्यायालय उस उपधारा के अधीन कर सकेगा, निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे—

(क) उस स्थान पर कार्यवाहियों का किया जाना, जिसका विनिश्चय न्यायालय द्वारा किया जाएगा;

(ख) अपने आदेशों या निर्णयों में या मामले के किन्हीं अन्य अभिलेखों में, जो जनता तक पहुंच योग्य हैं, साक्षियों के नाम और पते के उल्लेख से बचना;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कोई निदेश जारी करना जिससे कि साक्षियों की पहचान और पता प्रकट नहीं किए जाएं;

(घ) यह विनिश्चय करना कि ऐसा आदेश किया जाना लोकहित में है कि ऐसे न्यायालय के समक्ष लंबित सभी या कोई कार्यवाही किसी रीति में प्रकाशित नहीं की जाएगी.

(४) कोई व्यक्ति जो उपधारा (३) के अधीन किये गये किसी विनिश्चय या जारी किये गये निदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.

**संपत्ति का समपहरण तथा कुर्की.**

२४. (१) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है वहां, विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त, लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषणा कर सकेगा कि अभियुक्त की धारा २१ की उपधारा (२) में यथाविनिर्दिष्ट कोई संपत्ति, जंगम या स्थावर, या दोनों, और जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, यथास्थिति, राज्य सरकार को, सभी विल्लंगमों से मुक्त समपहृत हो जाएंगी.

(२) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाले विशेष न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी कि उसकी सभी या कोई संपत्तियां, जंगम या स्थावर, या दोनों, और जो धारा २१ की उपधारा में यथाविनिर्दिष्ट है, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क कर ली जाएं, यदि वे इस अधिनियम के अधीन पहले से की कुर्क नहीं की गई हैं, और यदि ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्धि में होता है तो इस प्रकार कुर्क की गई संपत्तियां सभी विल्लंगमों से मुक्त समपहृत हो जाएंगी.

(३) (क) यदि धारा १७ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट पर्यवेक्षणीय अधिकारी के अनुमोदन से अन्वेषणकर्ता किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में कोई रिपोर्ट की जाती है, तो उस पर किसी विशेष न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया है और वह फरार है या अपने को इस वजह से छिपा रहा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ऐसा न्यायालय, संहिता की धारा ८२ में किसी बात के होते हुए भी, उससे यह अपेक्षित करते हुए एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करवा सकेगा कि वह विनिर्दिष्ट स्थान तथा विनिर्दिष्ट समय पर उपस्थित हो जो ऐसी उद्घोषणा के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के पूर्व की न हो और तीस दिन के बाद न हो :

परन्तु यदि संबंधित अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी, उस अभियुक्त को, जो फरार है तथा अपने को छिपा रहा है, उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत अपराध की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर गिरफ्तार करने में असफल रहता है तो उक्त कालावधि जारी करने हेतु विशेष न्यायालय को रिपोर्ट देगा.

(ख) खण्ड (क) के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला विशेष न्यायालय उद्घोषित व्यक्ति की किसी भी सम्पत्ति, चाहे जंगम हो या स्थावर या दोनों को किसी भी समय कुर्की का आदेश कर सकेगा और तत्पश्चात् संहिता की धारा ८३ से ८५ के उपबंध ऐसी कुर्की पर ऐसे लागू होंगे, जैसे कि ऐसी कुर्की उस संहिता के अधीन की गई थी.

(ग) यदि कुर्की की तारीख से छह मास के भीतर, कोई व्यक्ति जिसकी कि सम्पत्ति राज्य सरकार के नियंत्रण में है या नियंत्रण में रही है, स्वैच्छया उपस्थित हो जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा उस विशेष न्यायालय

के, जिसके कि आदेश से सम्पत्ति कुर्क की गई थी या ऐसे न्यायालय के, जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय है, समक्ष बुलाया जाता है और ऐसे न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि उसने गिरफ्तारी की अवहेलना के प्रयोजन से स्वयं को छिपाया नहीं था और उसे उद्घोषणा का ऐसा नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था जिससे कि वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में समर्थ हो सके तो ऐसी सम्पत्ति या यदि उसे विक्रीत कर दिया गया है तो उसके सकल आगम और अवशिष्ट सम्पत्ति, यदि कोई हो, कुर्की के परिणामस्वरूप उपगत समस्त व्ययों का भुगतान करने के पश्चात्, उसे प्रदत्त कर दी जाएगी.

संहिता के कतिपय उपबंधों का उपांतरित रूप में लागू होना.

२५. (१) संहिता की किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, संहिता की धारा २ के खण्ड (ग) के अर्थान्तर्गत संज्ञेय अपराध समझा जाएगा और ''संज्ञेय मामले'' का, जैसा वह उस खण्ड में परिभाषित है, तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा.

(२) संहिता की धारा १६७ ऐसे मामले के संबंध में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध अन्तर्वलित है, इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए लागू होगी कि उपधारा (२) में,—

(क) ''पन्द्रह दिन'' और ''साठ दिन'' के प्रति निर्देशों का, जहां-जहां वे आते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमश: ''तीस दिन'' और ''नब्बे दिन'' के प्रति निर्देश हैं;

(ख) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु यह और कि यदि नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर अन्वेषण पूरी करना संभव नहीं है, तो विशेष न्यायालय, अन्वेषण की प्रगति को और नब्बे दिन की उक्त अवधि से परे अभियुक्त के निरोध के लिये विनिर्दिष्ट कारणों को उपदर्शित करने वाली लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिन तक विस्तारित कर सकेगा.''.

(३) संहिता की धारा ४३८ की कोई भी बात ऐसे किसी मामले में लागू नहीं होगी जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध करने के अभियोग से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित है.

(४) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अभियुक्त के किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बंध पत्र पर तब तक छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक कि—

(क) लोक अभियोजक को इस प्रकार छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का एक अवसर नहीं दे दिया गया है; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, जब तक न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसा विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह उक्त अपराध करने का दोषी नहीं है, तथा जब तक वह जमानत पर है, किसी अपराध को करने की संभावना नहीं है.

(५) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को जमानत मंजूर नहीं की जाएगी, यदि न्यायालय को यह सूचना है कि इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य अधिनियम के अधीन वह प्रश्नगत अपराध के किए जाने की तारीख को जमानत पर था.

(६) उपधारा (४) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर किये जाने की परिसीमाएं, जमानत मंजूर किये जाने से संबंधित संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं.

(७) पूर्व अभ्यारोहण या पूर्व विचारण परिप्रश्न के लिये किसी व्यक्ति की अभिरक्षा चाहने वाला कोई पुलिस अधिकारी, ऐसी अभिरक्षा चाहने के लिये तथा पुलिस अभिरक्षा में रखने में हुए विलम्ब के लिये भी, यदि कोई हो, कारण स्पष्ट करते हुए लिखित कथन दाखिल करेगा.

धारा ३ तथा ४ के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा.

२६. (१) धारा ३ तथा ४ के अधीन दंडनीय आतंकवादी कार्य या निरंतर विधिविरुद्ध कार्यकलापों या संगठित अपराध के अभियोजन में, यदि यह साबित कर दिया जाता है कि—

(क) जिनमें विधिविरुद्ध आयुध तथा अन्य सामग्री दस्तावेज और शपथपत्र सम्मिलित हैं, अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे दस्तावेज तथा कागजपत्र सहित ऐसे विधिविरुद्ध आयुध तथा सामग्री ऐसे अपराध के किए जाने में प्रयोग में लाए गए हैं; या

(ख) विशेषज्ञ की साक्ष्य द्वारा अभियुक्त की अंगुलियों की छाप अपराध स्थल पर या किसी ऐसी चीज पर पाए गए थे, जिनमें दस्तावेज या कागजपत्र और यानों सहित ऐसे विधिविरुद्ध आयुध तथा कागजपत्र सम्मिलित हैं, जिसका प्रयोग ऐसे अपराध को करने के संबंध में किया गया था;

तो विशेष न्यायालय, जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा करेगा कि ऐसा अपराध अभियुक्त ने किया था.

(२) धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अभियोजन में यदि यह साबित किया जाता है कि अभियुक्त ने किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने आतंकवादी कार्य विधिविरुद्ध क्रियाकलापों या संगठित अपराध कारित किया है, वित्तीय सहायता दी है, तो विशेष न्यायालय, जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त उपधारा (२) के अधीन अपराध कारित किया है.

किसी अपराध का संज्ञान और उसके संबंध में अन्वेषण.

२७. (१) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई भी सूचना किसी पुलिस अधिकारी की, जो उप पुलिस महानिरीक्षक से निम्न पद श्रेणी का न हो, पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिनियम के अधीन आतंकवादी कार्य या विधिविरुद्ध क्रियाकलाप या संगठित अपराध के घटित होने के बारे में कोई भी सूचना, अभिलिखित नहीं की जाएगी;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण, उप पुलिस अधीक्षक की रैंक से निम्न रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा.

(२) कोई भी विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान किसी ऐसे पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लेगा जो पुलिस महानिदेशक की रैंक से निम्न का न हो.

गिरफ्तारी.

२८. (१) जहां कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अभिरक्षा ज्ञापन तैयार करेगा.

(२) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस थाने लाए जाने पर यथाशीघ्र अपने विधि व्यवसायी से परामर्श करने के अधिकार के संबंध में सूचित किया जाएगा.

(३) जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए, उसकी गिरफ्तारी की सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा उसके परिवार के सदस्य को या उसकी अनुपस्थिति में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा नामित किसी रिश्तेदार को टेलीग्राम, टेलीफोन या अन्य किसी साधन से तत्काल दी जाएगी तथा इस तथ्य को पुलिस अधिकारी द्वारा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर से अभिलिखित किया जाएगा.

(४) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी पूछताछ के दौरान उसका प्रतिनिधित्व करने वाले विधि व्यवसायी से मिलने की अनुमति दी जाएगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी विधि व्यवसायी को पूछताछ की पूर्ण कालावधि में उपस्थित रहने के लिए हकदार नहीं बनाएगी.

अध्यारोही प्रभाव.

२९. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों या किसी ऐसे नियम के अधीन किए गए किसी आदेश के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट या किसी ऐसी अन्य विधि का प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

३०. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी ऐसे नियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति.

३१. उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विशेष न्यायालयों से संबंधी इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, जैसा कि वह आवश्यक समझे, नियम बना सकेगा.

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.

३२. धारा २९ के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

नियमों का विधान सभा के पटल पर रखा जाना.

३३. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

३४. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश द्वारा, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

## उद्देश्यों तथा कारणों का कथन.

आतंकवाद ने आज अंतर्राष्ट्रीय आकार धारण कर लिया है, जिसमें आतंकवादी संगठन देश तथा राष्ट्रों के पार अपने माड्यूल, स्लीपर, एजेन्ट तथा समर्थक संगठनों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं. आतंकवाद का फैलाव हमारे समाज की एकता, शांति तथा धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए गंभीर रूप से संकट उत्पन्न कर रहा है. संगठित अपराध भी अब बहुत गंभीर खतरे के रूप में सामने आया है, इसकी कोई राष्ट्रीय सीमाएं नहीं हैं तथा ठेके से हत्या, उद्दापन, लूट, विनिषिद्ध तस्करी, स्वापक पदार्थ, आयुधों तथा विस्फोटकों में अवैध व्यापार, मुक्तिधन के लिए व्यपहरण, संरक्षाधन का संग्रहण तथा मनी लांडरिंग आदि द्वारा अर्जित अवैध धन द्वारा घटित होता है. संगठित अपराध से अर्जित अत्यधिक अवैध धन तथा काले धन का हमारी अर्थव्यवस्था पर हानिकर प्रभाव है. यह भी देखा गया है कि संगठित आपराधिक सिंडीकेट ने आतंकवादी सज्जा तथा स्वापी आतंकवाद और आयुधों के अवैध व्यापार को प्रोन्नत कर एक सामान्य हेतुक रखा है जिसका विस्तार राष्ट्रीय सीमाओं से परे है. यह विश्वास करने के विश्वासप्रद कारण हैं कि उच्छेदक तत्व तथा संगठित अपराधी समाज के लिए गंभीर संकट बन गए हैं और यह अति आवश्यक है कि उनकी गतिविधियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाए.

२. यह भी ध्यान में आया है कि आतंकवादी सज्जा, अवैध संगठनों तथा संगठित आपराधिक सिंडिकेटों द्वारा तार, इलैक्ट्रानिक तथा मौखिक संसूचना व्यवस्था का उनकी विध्वंसकारी तथा आपराधिक गतिविधियों में व्यापक उपयोग किया जा रहा है. अपराधों को किए जाने का साक्ष्य अभिप्राप्त करने या उनके किए जाने को रोकने में ऐसी संचार व्यवस्था का अवरोधन, विधि के प्रवर्तन तथा न्याय प्रशासन के लिए अपरिहार्य रूप से सहायक होगा.

३. अतएव, राज्य सरकार ने यह विनिश्चित किया है कि आतंकवाद, उच्छेदक तथा संगठित आपराधिक गतिविधियों के खतरे को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए वर्तमान विधिक संरचना अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि और न्यायनिर्णायक तंत्र को मजबूत करने हेतु कठोर तथा प्रतिरोधक उपबंधों सहित एक विशिष्ट विधि अधिनियमित की जाए.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २४ फरवरी २०१०.

उमाशंकर गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

---

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित."

## वित्तीय ज्ञापन

मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, २०१० के खण्ड-८ में एक या अधिक विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव है. जिसके संदर्भ में स्थापित होने वाले विशेष न्यायालयों एवं वेतन भत्तों आदि पर आवर्ती व्यय के रूप में रुपये १४,४०,५५,०००/- (रुपये चौदह करोड़, चालीस लाख, पचपन हजार) व अनावर्ती व्यय के रूप में रुपये ९८,७०,०००/- (रुपये अठानवे लाख, सत्तर हजार) का वार्षिक व्यय भार आना संभावित है.

## प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, २०१० के जिन खण्डों द्वारा विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है :—

| | |
|---|---|
| खण्ड १(४)— | अधिनियम के प्रवर्तन रहने की तीन वर्ष की कालावधि को अधिसूचना द्वारा यथानिर्दिष्ट और कालावधि के लिए बढ़ाये जाने; |
| खण्ड ८(१)— | अधिसूचना द्वारा किन्हीं क्षेत्रों और मामलों के लिए विशेष न्यायालय गठित किए जाने; |
| खण्ड ८(२)— | न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में अंतिम विनिश्चय किए जाने; |
| खण्ड ८(५)— | विशेष न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, कामकाज का वितरण एवं न्यायाधीशों की अनुपस्थिति की दशा में कामकाज के निपटारा किये जाने; |
| खण्ड ११— | अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने; |
| खण्ड १२(४)— | सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार विशेष न्यायालय को विचारण हेतु शक्तियां प्रदान किए जाने; |
| खण्ड २५(२)— | अन्वेषण हेतु विहित अवधि में अन्वेषण पूर्ण न होने की दशा में लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर अन्वेषण की अवधि विस्तारित किये जाने; |
| खण्ड ३२. | अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए; |
| खण्ड ३४. | अधिसूचना द्वारा अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कठिनाइयों को दूर किये जाने; |

के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.